संख्या-01/2018/50/26-3-2018-10(16)/2016टी.सी.

प्रेषक,

रवि शंकर मिश्र
अनु सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

निदेशक,
समाज कल्याण,
उ0प्र0, लखनऊ

समाज कल्याण अनुभाग-3 लखनऊः दिनांकः 05 जनवरी 2018

विषयः-अति पिछड़े अनुसूचित जाति बाहुल्य ग्राम के सर्वांगीण विकास हेतु संचालित एकीकृत विकास योजना के अंतर्गत जनपद सिद्धार्थनगर के विकास कार्यो की स्वीकृति के संबंध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक निदेशालय, समाज कल्याण के पत्रांक-150-51/स.क./विकास(25 एवं 22)/एकीकृत विकास योजना/16-17, दिनांक-02.05.2016 के सन्दर्भ में एवं शासनादेश संख्या-64/2015/2084/26-3-2014-10(16)/2014, दिनांक-10.06.2015 के अनुक्रम में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि अनुदान संख्या-83 के अन्तर्गत संचालित अति पिछड़े अनुसूचित जाति समूहों के लिये एकीकृत विकास योजनान्तर्गत जनपद-सिद्धार्थनगर के विकासखण्ड-शोहरतगढ़ के ग्राम सीतारामपुर, सेमरा, पकड़ीटोला नौडिहवा, मुडिला बुजुर्ग करौती, टेकनार, पिपरा, पल्टादेवी, रमवापुर नानकार, लुचुईया, सिसवाबुर्जुग एवं मोहनटोला में स्वीकृत किये गये कार्यो को पूर्ण कराये जाने हेतु चालू वित्तीय वर्ष 2017-18 में अवशेष धनराशि रूपया-841.64 लाख (रूपया आठ करोड़ इकतालिस लाख चौसठ हजार मात्र) के सापेक्ष निम्न विवरण के अनुसार धनराशि रूपया-250.00 लाख (रूपया दो करोड़ पचास लाख मात्र) को पुनर्विनियोग (संलग्न प्रपत्र बी.एम.-9) के माध्यम से स्वीकृति प्रदान करते हुये आपके निवर्तन पर रखे जाने की निम्नलिखित शर्तो एवं प्रतिबंधों के अधीन श्री राज्यपाल सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं:-

क्र. सं.	ग्राम का नाम	विकास खण्ड का नाम	विकास कार्य	अनुमोदित लागत	पूर्व में स्वीकृत धनराशि	अवशेष धनराशि	स्वीकृत की जा रही
1	2	3	4	5	6	7	8
1	सीतारामपुर	शोहरतगढ़	पिचरोड़/सी.सी.रोड़/के.सी.ड्रेन निर्माण	98.09	19.62	78.47	20.84
2	सेमरा	"	पिचरोड़/सी.सी.रोड़/के.सी.ड्रेन र्माण	96.85	19.37	77.48	20.84
3	पकड़ीटोला नौडिहवा	"	इन्टरलाकिंग निर्माण एवं आउटफाल ड्रेन निर्माण	97.29	19.45	77.84	20.84
4	मुडिला बुजुर्ग	"	पिचरोड़ एवं इन्टर लाकिंग	97.29	19.46	77.83	20.84
5	करौती	"	पिचरोड़/सी.सी.रोड़/के.सी.ड्रेन	95.51	19.10	76.41	20.83

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.nic.in

			निर्माण				
6	टेकनार	"	पिचरोड़/सी.सी.रोड़/के.सी.ड्रेन निर्माण	96.70	19.34	77.36	20.83
7	पिपरा	"	पिचरोड़/सी.सी.रोड़/के.सी.ड्रेन निर्माण	96.94	19.39	77.55	20.83
8	पल्टादेवी	"	इन्टरलाकिंग निर्माण एवं आउटफाल ड्रेन निर्माण	75.00	15.00	60.00	20.83
9	रमवापुर नानकार	"	पिचरोड़/सी.सी.रोड़/के.सी.ड्रेन निर्माण	70.00	14.00	56.00	20.83
10	लुचुईया	"	पिचरोड़/सी.सी.रोड़/के.सी.ड्रेन निर्माण	98.37	19.67	78.70	20.83
11	सिसवाबुर्जुग	"	इन्टरलाकिंग निर्माण एवं आउटफाल ड्रेन निर्माण	45.00	9.00	36.00	20.83
12	मोहनटोला	"	इन्टरलाकिंग निर्माण एवं आउटफाल ड्रेन निर्माण	85.00	17.00	68.00	20.83
	योग			1052.04	210.40	841.64	250.00

(1)-प्रश्नगत कार्य को पूर्ण किये जाने हेतु स्वीकृत की जा रही धनराशि का आहरण जिलाधिकारी अथवा उनके द्वारा नामित आहरण वितरण अधिकारी को किया जायेगा। स्वीकृत धनराशि को आहरित करके पी0एल0ए0 अथवा बैंक/डाकघर में नही रखी जायेगी। आहरण वितरण अधिकारी द्वारा धनराशि आवश्यकतानुसार आहरित कर कार्यदायी संस्था ग्रामीण अभियन्त्रण प्रखण्ड-सिद्धार्थनगर को उपलब्ध करायी जायेगी।

(2)-स्वीकृत की जा रही धनराशि का व्यय/उपयोग उन्ही कार्यो/मदों पर किया जायेगा जिसके लिए धनराशि स्वीकृत की जा रही है। इससे इतर व्यय/उपयोग वित्तीय अनियमितता होगी जिसके लिए संबंधित जिले के जिलाधिकारी उत्तरदायी होंगे।

(3)-कार्यदायी संस्था द्वारा गठित आगणनों में प्रस्तावित मात्राओं एवं लागत को यथावत मानते हुए स्वीकृत प्रदान की गयी है। अतएव स्वीकृत धनराशि से निर्माण कार्य शतप्रतिशत पूर्ण कर लिया जायेगा। प्रश्नगत निर्माण कार्य की गुणवत्ता एवं मात्राओं के संबंध में कार्यदायी संस्था के सक्षम अधिकारी/संबंधित जिलाधिकारी उत्तरदायी होगें।

(4)-संबंधित जिलाधिकारी एवं खण्ड विकास अधिकारी द्वारा उक्त कार्य की पुनरावृत्ति/द्विरावृत्ति हेतु यह सुनिश्चित किया जायेगा कि उक्त कार्य पूर्व में किसी अन्य योजना/कार्यक्रम के अंतर्गत न तो स्वीकृत हैं और न ही वर्तमान में किसी अन्य योजना/कार्यक्रम में प्रस्तावित है।

(5)-उक्त निर्माण/विकास कार्य पूर्ण होने के उपरान्त कार्यदायी संस्था द्वारा जिलाधिकारी के माध्यम से उपभोग प्रमाण पत्र एवं कार्य की भौतिक प्रगति की सूचना नियमानुसार महालेखाकार, उ0प्र0 इलाहाबाद एवं शासन को उपलब्ध करायी जायेगी।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.nic.in

(6)-उक्त स्वीकृति से सम्बन्धित धनराशि व्यय करने से पूर्व वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-1 के कार्यालय ज्ञाप 8/2017/बी-1-1190/दस-2017-231/2017, दिनांक-03 अगस्त 2017 में निहित निर्देशों का अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा।

2- उपर्युक्त पर होने वाला व्यय चालू वित्तीय वर्ष 2017-18 के अनुदान संख्या-83 के अंतर्गत लेखाशीर्षक-''4225-अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों तथा अन्य पिछडे वर्गो का कल्याण पर पूंजीगत परिव्यय-01-अनुसूचित जातियों का कल्याण-आयोजनागत-789-अनुसूचित जातियों के लिए विशेष घटक योजना-10-अति पिछड़े अनुसूचित जाति समूहों के लिए एकीकृत विकास योजना-1003-सम्पर्क मार्ग का निर्माण-24-बृहद निर्माण कार्य'' के सुसंगत इकाइयों के नामे डाला जायेगा तथा व्यय संलग्न प्रपत्र बी-एम-9 (पार्ट-1) के स्तम्भ-1 में उल्लिखित लेखाशीर्षको में उपलब्ध बचतों से पुर्नविनियोग कर वहन किया जायेगा।

यह आदेश वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-1 के कार्यालय ज्ञाप-8/2017/बी-1-1190/दस-2017-231/2017, दिनांक-03 अगस्त 2017 में निहित व्यवस्था के अधीन जारी किए जा रहे हैं।

संलग्नक-पुनर्विनियोग प्रपत्र बी0एम0-9(पार्ट-1)

भवदीय
रवि शंकर मिश्र
अनु सचिव

पृ0संख्या-01/2018/50(1)/26-3-2018 तददिनांकः

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः-

1.महालेखाकार,(लेखा एवं हकदारी/लेखापरीक्षा)प्रथम उ0प्र0, इलाहाबाद।
2.जिलाधिकारी, सिद्धार्थनगर।
3.कोषाधिकारी, जवाहर भवन, उ0प्र0 लखनऊ।
4.कोषाधिकारी, सिद्धार्थनगर।
5.अधिशासी अभियंता, ग्रामीण अभियंत्रण सेवा प्रखण्ड, सिद्धार्थनगर।
6.जिला समाज कल्याण अधिकारी सिद्धार्थनगर।
7.वित्त (व्यय नियंत्रण) अनुभाग-3/वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-1
8.समाज कल्याण (बजट प्रकोष्ठ)/गार्डफाइल।

आज्ञा से,
रवि शंकर मिश्र
अनु सचिव

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.nic.in

प्रपत्र–बी0एम0–9 (पार्ट–1)
पुनर्विनियोग के लिए आवेदन/स्वीकृति
(सन्दर्भः बजट मैनुअल का प्रस्तर–158)

अनुदान संख्या व नाम :- 83 व अनुसूचित जातियों के लिये विशेष घटक योजना (समाज कल्याण विभाग) वित्तीय वर्ष 2017–2018 (धनराशि लाख रू0 में)

निम्नलिखित निधियों से प्रस्तावित संकमण				वित्त विभाग द्वारा भरा जायेगा	
लेखाशीर्षक	आवेदन पत्र देने के दिनांक पर उपलब्ध अनुदान/विनियोग	आवेदन–पत्र देने के दिनांक पर उपलब्ध बचत	संकमित की जाने वाली धनराशि	वित्त विभाग द्वारा संकमण हेतु अनुमोदित धनराशि	संकमण के पश्चात् शेष अनुदान/ विनियोग (2–5)
1	2	3	4	5	6
4225–अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों तथा अन्य पिछड़े वर्गो के कल्याण पर पूंजीगत परिव्यय–01–अनुसूचित जातियों का कल्याण–789–अनुसूचित जातियों के लिए विशेष घटक योजना–10–अति पिछड़े अनुसूचित जाति समूहों के लिए एकीकृत विकास योजना–1001–पेयजल व्यवस्था–24–वृहत निर्माण कार्य–	50.00	50.00	50.00	50.00	0.00
1002–आवास निर्माण–24–वृहत निर्माण कार्य–	50.00	50.00	50.00	50.00	0.00
1004–सामुदायिक विकास केन्द्र का निर्माण–24–वृहत निर्माण कार्य–	150.00	150.00	150.00	150.00	0.00
योग	250.00	250.00	250.00	250.00	0.00

निम्नलिखित निधियों में प्रस्तावित संकमण				वित्त विभाग द्वारा भरा जायेगा	
लेखाशीर्षक	वित्तीय वर्ष के लिये उपलब्ध अनुदान/ विनियोग	वित्तीय वर्ष में प्रत्याशित कुल व्यय	संकमण हेतु प्रस्तावित धनराशि (9–8)	वित्त विभाग द्वारा नुमोदित संकमण की धनराशि	संकमण के पश्चात् उपलब्ध अनुदान/ विनियोग (8+11)
7	8	9	10	11	12
4225–अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों तथा अन्य पिछड़े वर्गो के कल्याण पर पूंजीगत परिव्यय–01–अनुसूचित जातियों का कल्याण–789–अनुसूचित जातियों के लिए विशेष घटक योजना–10–अति पिछड़े अनुसूचित जाति समूहों के लिए एकीकृत विकास योजना–1003–सम्पर्क मार्ग का निर्माण–24–वृहत निर्माण कार्य–	3512.73	3762.73	250.00	250.00	3762.73
योग	3512.73	3762.73	250.00	250.00	3762.73

1. स्तम्भ–3 में उपलब्ध बचत का कारण निम्नानुसार है:– स्तम्भ–1 में उल्लिखित लेखाशीषकों में बचत वास्तविक आवश्यकता के अनुसार है।
2. स्तम्भ–8 में उल्लिखित उपलब्ध अनुदान के सापेक्ष स्तम्भ–9 में अंकित व्यय निम्नलिखित कारणो से है:– योजना के कियान्वयन किये जाने के कारण ।
3. प्रमाणित किया जाता है कि उपर्युक्त पुनर्विनियोग में उत्तर प्रदेश बजट मैनुअल के प्रस्तर–150 व 151 में निर्दिष्ट प्रतिबन्धों/परिसीमाओं का उल्लंघन नहीं होता है ।

संख्या–आर0ई0–144/दस–2017, दि0 26-4

सेवा में,

महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी) प्रथम
उत्तर प्रदेश, इलाहाबाद ।

(रवि शंकर मिश्र)
अनु सचिव
समाज कल्याण विभाग

(मनोज सिंह)
प्रमुख सचिव
समाज कल्याण विभाग।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

संख्या– 02/2018/50 (1)/26–3–2017–दिनांक 05 दिसम्बर, 2018

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः–

1– महालेखाकार (लेखा परीक्षा), उ0प्र0 इलाहाबाद।
2– निदेशक, समाज कल्याण, उ0प्र0 लखनऊ।
3– निदेशक, वित्तीय एवं सांख्यिकीय निदेशालय, जवाहर भवन, लखनऊ।
4– कोषाधिकारी, जवाहर भवन, लखनऊ/कोषाधिकारी, सिद्धार्थनगर।
5– वित्त नियंत्रक, समाज कल्याण निदेशालय, उ0प्र0 लखनऊ।
6– जिलाधिकारी/जिला समाज कल्याण अधिकारी, सिद्धार्थनगर।
7– वित्त (व्यय–नियंत्रण) अनुभाग–3/वित्त (आय–व्ययक) अनुभाग–1 (दो प्रतियों में)
8– बजट प्रकोष्ठ, समाज कल्याण, उ0प्र0 शासन
9– गार्डफाइल।

आज्ञा से,

(रवि शंकर मिश्र)
अनु सचिव ।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।